न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं०–05,गाजियाबाद ।

सुजीत गिरी बनाम सालिन्दर भारती।
परिवाद सं०–623/2025
रजि० सं०–69793/2022
धारा–138 एन०आई०एक्ट
थाना–साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद।

दिनांकः 20.02.2026

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली लंच बाद पुनः पेश हुयी। बार–बार पुकार कराये जाने पर भी परिवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पत्रावली परिवादी पैरवी हेतु नियत चली आ रही है। परिवादी को कई बार मौका दिये जाने पर भी यह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है। परिवादी को पूर्व नियत तिथि पर उपस्थिति हेतु अंतिम अवसर भी दिया गया था, किन्तु उसकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई हाजिरी माफ़ी या स्थगन प्रस्तुत हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को उक्त परिवाद के निस्तारण में कोई रूचि शेष नहीं है। अतः परिवाद परिवादी की निरंतर अनुपस्थिति में अन्तर्गत धारा 256 दं०प्र० सं० में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद संख्या–623/2025,अन्तर्गत धारा 256 दं०प्र०सं० खारिज किया जाता है। परिवाद संख्या–623/2025, अन्तर्गत धारा 138 NI Act थाना साहिबाबाद गाजियाबाद के प्रकरण में अपराध का शमन करते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है। यदि अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रोसेस जारी हुआ हो तो उसे संबंधित थाने से वापस मंगा लिया जाये। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

समरीन फातिमा नोमानी,
अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं०–05, गाजियाबाद ।